# राजस्थान सरकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज / वाद / 08,पार्ट

जयपुर दिनांक 29-12-2020

## ः आदेशः

दी राजस्थाल लॉ एण्ड लीगल अफैयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 व 15 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अभिभाषकगण को एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल, जोधपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप राशि 25,200/— प्रतिमाह पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:—

क0सं0	नाम अधिवक्ता	एनरोलमेन्ट नंबर
1	श्री इन्दुशेखर पारीक	R/389/1982
2	श्री अरूण कुमार	R/1671/2008

- वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होगे।
- 2. वे माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
- 3. वे महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे।
- 4. यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार ही शासित होगी।
- 5. वे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले / याचिकाएँ व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।
- 6. उक्त एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल को अन्य एलाउन्स/चार्जेज/सुविधाएँ वही देय होगी, जो वर्तमान में एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल को दी जा रही है।

आज्ञा से,

80

(विनोद कुमार भारवानी) प्रमुख शासन सचिव,विधि

# प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. प्रमुख शासन सचिव, मा० मुख्यमंत्री / निजी सचिव, मा० विधि मंत्री / मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, विधि।
- 2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष/ सचिवालय के समस्त विभाग।
- 3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
- 4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर बैंच।
- 5. राजकीय अधिवक्ता / गवर्नमेंट कौंसिल / प्रशासक वादकरण, जयपूर / जोधपुर।
- 6. समस्त अति. महाधिवक्ता / एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
- 7. संबंधित अधिवक्ता।
- 8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
- 10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- 11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
- 13. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ट / संयुक्त विधि परामर्शी / उप विधि परामर्शी ।
- 15. कोषाधिकारी, जोधपुर।
- 16. लेखा शाखा, विधि विभाग।
- 17. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेत्। 28/220

18. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, विधि

## राजस्थान सरकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग

#### (राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/ वाद/ 08, पार्ट

जयपुर दिनांक 29.12.2020

#### :: आदेश ::

दी राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफैयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 व 15 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अभिभाषकगण को एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल, जोधपुर के पद पर मासिक रिटेनरिशप राशि 25,200/- प्रतिमाह पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेश तक के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है:-

क्र0सं0	नाम अधिवक्ता	एनरोलमेन्ट नंबंर
1	श्री इन्दुशेखर पारीक	R/ 389/ 1982
2	श्री अरूण कुमार	R/ 1671/ 2008

- वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों या निगमों का जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
- 2. वे माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए जिनमें राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
- 3. वे महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधप्र के निर्देशों एवं देखरेख में कार्य सम्पादन करेंगे।
- 4. यह नियुक्ति राजकीय अधिवक्तागण के संदर्भ में प्रचलित आदेशों में वर्णित सुसंगत शर्तों के अनुसार ही शासित होगी।
- 5. वे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये सभी दीवानी मामले/ याचिकाएं व विधि मामलों की पैरवी करेंगे।
- 6. उक्त एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल को अन्य एलाउन्स/ चार्जेज/ सुविधाएं वही देय होगी, जो वर्तमान में डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल को दी जा रही हैं।

आज्ञा से, ह0 (विनोद कुमार भारवानी) प्रमुख शासन सचिव, विधि

### प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. प्रमुख शासन सचिव, मा० मुख्यमंत्री/ निजी सचिव, मा० विधि मंत्री/ मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, विधि।
- 2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ जिलाधीश/ विभागाध्यक्ष/ सचिवालय के समस्त विभाग।
- 3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
- 4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर बैंच।
- 5. राजकीय अधिवक्ता/ गवर्नमेंट कौंसिल/ प्रशासक वादकरण, जयप्र/ जोधप्र।
- समस्त अति. महाधिवक्ता/ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
- 7. संबंधित अधिवक्ता।
- 8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
- 10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- 11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधप्र।
- 12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
- 13. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/ संयुक्त विधि परामर्शी/ उप विधि परामर्शी।
- 15. कोषाधिकारी, जोधप्र।
- 16. लेखा शाखा, विधि विभाग।
- 17. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेत्।
- 18. रक्षित पत्रावली।

ह0/-

29.12.2020

शासन सचिव, विधि